

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS

सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

सीमा शुल्क गृह,विलिंग्डन आईलेंड,कोचिन

CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: www.cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422

E-mail: cochincustoms@nic.in

Fax: 0484-2668468

F. No. GEN/AG/MISC/43/2021-CEPC ICTT

दिनांक Date: 01.10.2022

स्थायी आदेश STANDING ORDER No.3/2022 डी आई डी संख्या DIN No.- 20221158MB0000555F3C

विषय- फेसलेस मूल्यांकन के तहत अनामित वृद्धि तंत्र- के संबंध में। Subject: Anonymised Escalation Mechanism under Faceless Assessment- reg.

सभी का ध्यान सीमा शुल्क निकासी की शीघ्रता के लिए फेसलेस मूल्यांकन के अंतर्गत किए जाने वाले उपायों के संबंध में दिनांक 07.07.2021 के बोर्ड परिपत्र संख्या 14/2021 की ओर आकर्षित किया जाता है।

Kind reference is invited to Board Circular No.14/2021 dated 07.7.2021 regarding measures under Faceless Assessment for expediting Customs clearance.

2. उपर्युक्त मिरपत्र के अनुसरण में आईसगेट में अनामित वृद्धि तंत्र (ए ई एम) संचालित किए गए है, जहाँ आयातक या सीमा शुल्क ब्रोकर बिल ऑफ एंट्री के मूल्यांकन में हुई देरी के संबंध में अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है इस प्रणाली में जहाँ बी ई मूल्यांकन हेतु लंबित है उससे संबंधित फेसलेस मूल्यांकन समूह के समक्ष जहाँ अधिकारी का नाम तथा स्थल प्रदर्शित नहीं किया जाता। इस संबंध में विस्तृत परामर्शिका जारी की गई है तथा आईसगेट की वेबसाइट(अनुलग्नक- क) में अपलोड की गई है, जिसमें आयातकों/ सीमा शुल्क ब्रोकरों की शिकायतों के पंजीकरण की चरणबद्ध प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। इस संबंध में शिकायत से संबंधित जिस टिकट को जारी किया जाता है वह मानीटरण व अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु वी डी एन तथा ए डी एन की रोल रखने वाले सीमा शुल्क अधिकारी को चली जाती है। इस संबंध में संयुक्त आयुक्त/अपर आयुक्त, सीमा शुल्क(मूल्य निरूपक), सीमा शुल्क गृह, कोचिन को फेसलेस मूल्यांकन के तहत अनामित वृद्धि टिकट मानीटरण के कार्य के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

In pursuance of the above Circular, an Anonymized Escalation Mechanism (AEM) has been operationalized at ICEGATE whereinan importer or a Customs Broker (CB) can raise a grievance in case of delay in assessment of a Bill of Entry, for escalation to the concerned Faceless Assessment Group, while maintaining anonymity of the officer and location where the B/E is pending for assessment. In this regard, detailed Advisory has been issued and uploaded on the ICE GATE website (Annexure-A) outlining step by step process for registration of grievance by the importers/CBs. The tickets raised will be routed to the Customs officers having VDN and ADN roles in ICES for monitoring and follow up. In this regard, the Joint Commissioner /Additional Commissioner of Customs (Appraising), Custom House, Cochin has been nominated as Nodal Officer for the purpose of monitoring Anonymized Escalation tickets under Faceless Assessment.

3. आई सी ई एस में शिकायत के संबंध में की जाने वाली प्रक्रिया की रूपरेखा निम्नानुसार होगी-The flow of a particular grievance ticket in ICES will be as follows —

3.1 जैसे ही आईसगेट में शिकायत सफलतापूर्वक पंजीकृत कर दिया जाएगा, तब शिकायत के संबंध में जारी टिकट की विवरणी उस अनामित रूप में संबद्ध अधिकारी को उपलब्ध हो जाएगी जहाँ से बिल ऑफ एंट्री लंबित है। एक उदाहरण के लिए यदि बिल ऑफ एंट्री एफ ए जी पोर्ट से लंबित है तो संबद्ध एफ ए जी पोर्ट में उस निर्दिष्ट समूह के लिए आई सी ई एस में जिस अधिकारी के पास वीडीएन रोल होगा उसके पास शिकायत से संबंधित टिकट की विवरणी होगी। इसी प्रकार, यदि मूल्यांकन आयात के पोर्ट से लंबित है तो शिकायत संबंधी टिकट की विवरणी आयात के पोर्ट पर आई सी ई एस में ए डी एन रोल रखने वाले अधिकारी के पास उपलब्ध होगी।

Once the grievance is registered successfully at ICEGATE, the grievance ticket details will be available anonymously to the concerned officers where the Bill of entry is pending for assessment. In case the Bill of Entry is pending for assessment at FAG port, the grievance ticket details will be available with the officer having VDN role in ICES for the particular Group at the concerned FAG port. Similarly, in case the Bill of Entry is pending for assessment at port of import, the grievance ticket details will be available with the officer having ADN role in ICES at the port of Import.

3.2 यदि बिल ऑफ एंट्री मूल्यांकन हेतु एफ ए जी पोर्ट पर लंबित है तथा उस समय यदि शिकायत की जाती है तो तत्संबंधी टिकट की विवरणी एफ ए जी पोर्ट के वी डी एन अधिकारी के पास उपलब्ध होगी। यदि बी ई को आयात पोर्ट पर भेजा जाता है या आयात पोर्ट द्वारा उसे पुनः लिया जाता है, तब तत्संबंधी शिकायत की टिकट एफ ए जी पोर्ट पर वी डी एन रोल से आयात के पोर्ट पर ए डी एन रोल को स्थानांतरित हो जाएगा।

In case a Bill of Entry is pending for assessment at FAG port and the grievance ticket is raised in the meanwhile, the grievance ticket details will be available with the VDN officer at FAG port. If the B/E is pushed to port of import or recalled by the port of import, the corresponding grievance ticket will get transferred from VDN role at FAG port to the

ADN role at the port of import. 3.3. अतः शिकायत की टिकट, बिल ऑफ एंट्री के स्थानांतरित होने पर उसी के साथ ही आगे जाएगी। अतः किसी भी समय ए डी एन तथा वी डी एन अधिकारी, संबंधी मूल्यांकन अधिकारी के द्वारा लंबित शिकायतों पर की जाने वाली कार्रवाई का मानीटरण कर सकता है।

Therefore, the grievance ticket will flow with the Bill of Entry, if it is transferred. Therefore, at any given point in time, the VDN and ADN officers may monitor the pending grievances for action by the respective assessing officers.

4.ए ई एम टिकट का वी डी एन या ए डी एन रोल द्वारा प्रभावी मानीटरण तथा अनुवर्ती कार्रवाई, जैसा भी मामला हो के लिए अधिकारी को उनकी स्क्रीन पर किसी निर्दिष्ट बिल ऑफ एंट्री की स्थिति को देखने का विकल्प प्रदान किया जाता है। एक बार जब मूल्यांकन का कार्य संपन्न हो जाता है, सिस्टम में शिकायत टिकट बंद हो जाती है तथा यह अधिकारी की स्क्रीन से चली जाती है। इसके साथ ही आयातक या सीमा शुल्क ब्रोकर को आईसगेट के शिकायत डैशबोर्ड के अंतर्गत शिकायत की स्थिति को निवारण संपन्न (क्लोस्ड) के रूप में दिखाई देता है।

For effective monitoring and follow up of AEM tickets by the VDN or ADN role, as the case may be, option to view and see status of the particular Bill of Entry has been provided to the officers in their screen. Once the assessment is completed, the grievance ticket will be closed in System and will be removed from the screen of the officer. Further, the importer or the Customs broker will get the status of grievance ticket as Closed under ICEGATE grievance dashboard.

5. इस संबंध में परामर्शिका आई सी ई एस में वी डी एन तथा ए डी एन रोल के तहत अनामित वृद्धि तंत्र(ए ई एम) के विस्तृत स्क्रीन शॉट के साथ अनुलग्नक-1 के रूप में मार्गदर्शन के लिए संलग्न है।

In this regard, Advisory with detailed screenshots for Anonymized Escalation Mechanism (AEM) View under VDN and ADN roles in ICES are attached as Annexure-1 for guidance.

पी. जयदीप P. JAIDEEP

सीमा शुल्क आयुक्त COMMISSIONER OF CUSTOMS

प्रतिलिपि प्रेषित Copy submitted to:

तिरूवनंतपुरम क्षेत्र The Chief Commissioner of Customs शुल्क मुख्य आयुक्त, Thriruvananthapuram zone

प्रतिलिपि Copy to:

- 1. सभी सीमा शुल्क अपर आयुक्त/ संयुक्त आयुक्त, सीमा शुल्क गृह, कोचिन। All Addl. Commissioner, Joint Commissioner of Customs, Custom house, Cochin
- 2. सभी सीमा शुल्क उप आयुक्त/ सहायक आयुक्त All DC/AC of Customs
- 3. सीमा शुल्क ब्रोकर असोसिएशन, कोचिन The Custom Broker association, Cochin
- 4. ई डी आई अनुभाग, सीमा शुल्क गृह, कोचिन को, वेबसाइट में अपलोड करने हेतु। EDI section, Custor House, Cochin for uploading on website.